न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 89 / 2020

वादीगण

1. भोपालसिंह पुत्र रतनसिंह
2. शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
4. आम्बसिंह पुत्र रतनसिंह
5. मु0 सायरकंवर पुत्री रतनसिंह

जाति राजपूत निवासी मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह के कायममुकाम
   1/1 राजूसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/2 सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/3 संगीताकंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/4 दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/5 मीमाकंवर पुत्री भंवरसिंह
2. जबरसिंह पुत्र हमीरसिंह
   जाति राजपूत निवासी मण्डली
3. शाखा प्रबंधक टीएजीबी बैंक शाखा मण्डली
4. राजस्थान राज्य जरीय भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर

दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश धारा 53, 188 आर.टी.ए.

अन्तिम डिक्री **दिनांक 04.03.2022**

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मण्डली तहसील **कल्याणपुर** में स्थित भूमि खसरा नं0 159 रकबा क्रमशः 22–10 बीघा, के सम्बन्ध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 21.06.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, **पचपदरा** को मौके पर उभय पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था। सरहद मौजा मण्डली पटवार क्षेत्र मण्डली में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 159 रकबा 22.10 बीघा का बाई मिटस एण्ड़ बाउन्डस विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी दिनांक 09.09.2021 को न्यायालय द्वारा जारी की, जिसकी पालना में तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव कमांक/भू.अ./विप्र./2022/243 दिनांक 09.02.2022 को पुनः तैयार कर उपलब्ध कराया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मोके पर सह खातेदारान मोतबरान व पड़ौसी काश्तकारों के रूबरू मोका देखा । उभय पक्ष को तलब कर उपस्थित वादी /प्रतिवादी के समक्ष विभाजन प्रस्ताव मोके के कब्जा काश्त एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारों के अनुसार तैयार किया गया प्रतिवेदित हुआ है, जिसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर, जिसे स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी कर वादग्रस्त खातेदारी को निम्नानुसार पृथक–पृथक घोषित कर विभाजित की जाती है,

क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा सं.	रकबा	किस्म	[illegible]	[illegible]
1.	राजूसिंह, सुमेरसिंह, दीपसिंह, पि0 भंवरसिंह, सुमित्राकंवर, मीमोंकंवर पुत्रियां भंवरसिंह रहन टीएजीबी बैंक शाखा मण्डली	159	11–05 बीघा	[illegible]	[illegible]	हरा
2.	जबरसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डली	159	5–12 बीघा	बा.अ.	2.81	पीला
3.	भोपालसिंह , शैतानसिंह, महेन्द्रसिंह,आम्बसिंह पि0 रतनसिंह मु0 सायरकंवर पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डली	159	5–12 बीघा	बा.अ.	2.81	लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:07:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

तहसीलदार, **कल्याणपुर** को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार बाद जांच अमल दरामद करके राजस्व रिकार्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करें। वकील वादी स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर डिग्री पर्चा मुर्तिब हो।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:07:23 IST
Reason: SelfAttested